न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/119

ओमप्रकाश बागडी पुत्र श्री बाबूलाल जाति खटीक आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री अतीक सक्सेना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 01.05.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2019 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि न्यायालय सहायक वन संरक्षक कोटा वन मण्डल कोटा ने अप्रार्थी अपीलान्ट को नाका नयागॉव चैक पोस्ट अधीन वनखण्ड आवंली रोजडी में खसरा नम्बर 263 की 0.0054 हैक्टर वनखण्ड की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण करने से अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए फसल जब्त करने एवं बेदखल करने तथा धारा 91 (II) के अन्तर्गत पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के दोष में लगान का 1100/– रूपये शास्ति एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के दोष में 30 दिवस (एक माह) के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय अपने आदेश दिनांक 20.08.2018 के द्वारा पारित किया । उक्त निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने प्रथम अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) में अपील प्रस्तुत की । प्रथम अपीलेट न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलान्ट की अपील अपने आदेश दिनांक 15.02.2019 के द्वारा खारिज कर दी । उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय से व्यथित होकर अप्रार्थी अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही झूठी रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त

आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है जिसका शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रिपोर्ट के आधार पर उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है कब्जा छोडने के सम्बन्ध में अपना शपथ पत्र भी पेश किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा माफ की जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त वादग्रस्त आराजी पर अतिक्रमण किया था जिसे बेदखल किया गया था । वादग्रस्त आराजी राजकीय भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति आदि को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । इस प्रकार अतिक्रमित भूमि वन विभाग की भूमि है जिस पर अपीलान्ट को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय (वन विभाग) भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है । अपीलान्ट द्वारा जुर्माना/तावान राशि आदि जमा करा दी है । अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से अपना कब्जा छोड दिया है ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा छोड दिया है एवं जुर्माना/ तावान राशि जमा करा दी है । इस आशय की पालना रिपोर्ट मय शपथ पत्र सम्बन्धित न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा को भी प्रस्तुत करेगा । उक्त आदेश की पालना हेतु एक प्रति न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा को प्रेषित की जावे । यदि अपीलान्ट उक्त पालना प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो विचारण न्यायालय द्वारा पारित सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को न्यायालय न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा में उपस्थित हो ।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित शेष निर्णय यथावत रहेगा ।

10. निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा